वित्त निर्देश 26/2006

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 267 /260/वित्त/नियम/चार/2006, रायपुर, दिनांक 24 अगस्त,2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- पेंशनर कल्याण निधि नियम 1997 के संबंध में ।

पेंशनर कल्याण निधि नियम 1997 के नियम 6 में राज्य के बाहर एवं राज्य के भीतर सहायता की अधिकतम राशि क्रमशः रूपये 30000 एवं रूपये 10000 प्रतिवर्ष निर्धारित है । इन नियमों के नियम 7 में निम्नानुसार सहायता राशि निर्धारित है ।

(एक) लंबी तथा गंभीर बीमारी हेतु प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर ।

(दो) दुर्घटना से क्षतिग्रस्त होने पर या अन्य दैविक विपत्ति की स्थिति में प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर ।

(तीन)	चश्में के लिये	रूपये 350 (तीन सौ पचास केवल)
(चार)	दांतो के सेट के लिये	रूपये 1000 (एक हजार केवल)
(पांच)	श्रवण यंत्र के लिये	रूपये 700 (सात सौ केवल)
(छ:)	तकनीकी शिक्षा के लिये	रूपये 1000 (एक हजार केवल)
(सात)	स्केनिंग/डायलेसिस स्ट्रेस टेस्ट /ई.सी.जी. तथा विशेष प्रकार के टेस्ट हेतु	रूपये 1500 (पन्द्रह सौ केवल)

कतिपय पेंशनरों द्वारा राज्य शासन को यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है कि नियम 7 में निर्धारित सीमा परिवार के एक सदस्य के लिये है, अथवा सभी सदस्यों के लिए ।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम 7 के प्रयोजन के लिए प्रत्येक मामले में पेंशनर एवं उसके परिवार के सदस्यों (पेंशन नियम 47 में यथा परिभाषित) को सहायता की पात्रता अलग-अलग होगी, किन्तु वर्ष में पेंशनर एवं उसके परिवार के सदस्यों को सहायता की सम्मिलित अधिकतम राशि नियम 6 की सीमा के अधीन होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चकवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 268 /260/वित्त/नियम/चार/2006, रायपुर, दिनांक 24 अगस्त,2006

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अमिताभ शर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग